यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून** के माह 09/2016 से 07/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 21.08.2017 से 29.08.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरद श्रीवास्तव एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 26.09.2016 से 29.09.2016 तक श्री बी0डी0 सिंह, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2012 से 08/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 07/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा उत्तराखण्ड में संस्कृत शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन संचालन पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण तथा विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ प्रथमा से उत्तर मध्यमा स्तर तक की एकीकृत संस्कृत शिक्षा की ब्यवस्था पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रबन्धन करना तथा संस्कृत शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के साथ ही परीक्षाओं का आयोजन करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड है।

   **(ii) (अ)** विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

**(रु0 लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवषेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) | आधिक्य (+) | बचत (-) |
| 2014–15 | – | – | 191.11 | 59.33 | 4.00 | 0.91 | – | 131.78 | – | 3.09 |
| 2015–16 | – | – | 134.49 | 93.77 | 2.94 | 2.01 | – | 40.72 | – | 0.93 |
| 2016–17 | – | – | 193.21 | 118.21 | 3.10 | 1.71 | – | 75.00 | – | 1.39 |
| 2017–18 (07/2017 तक) | – | – | 119.64 | 33.11 | 2.45 | 0 | – | 86.53 | – | 2.45 |

**(ब)** केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

**(रु0 लाख में)**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | शून्य | | | | | |
| 2015–16 | | | | | | |
| 2016–17 | | | | | | |
| 2017–18 (07/2017 तक) | | | | | | |

**(iii)** इकाई को बजट आबंटन राज्य स्तर से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

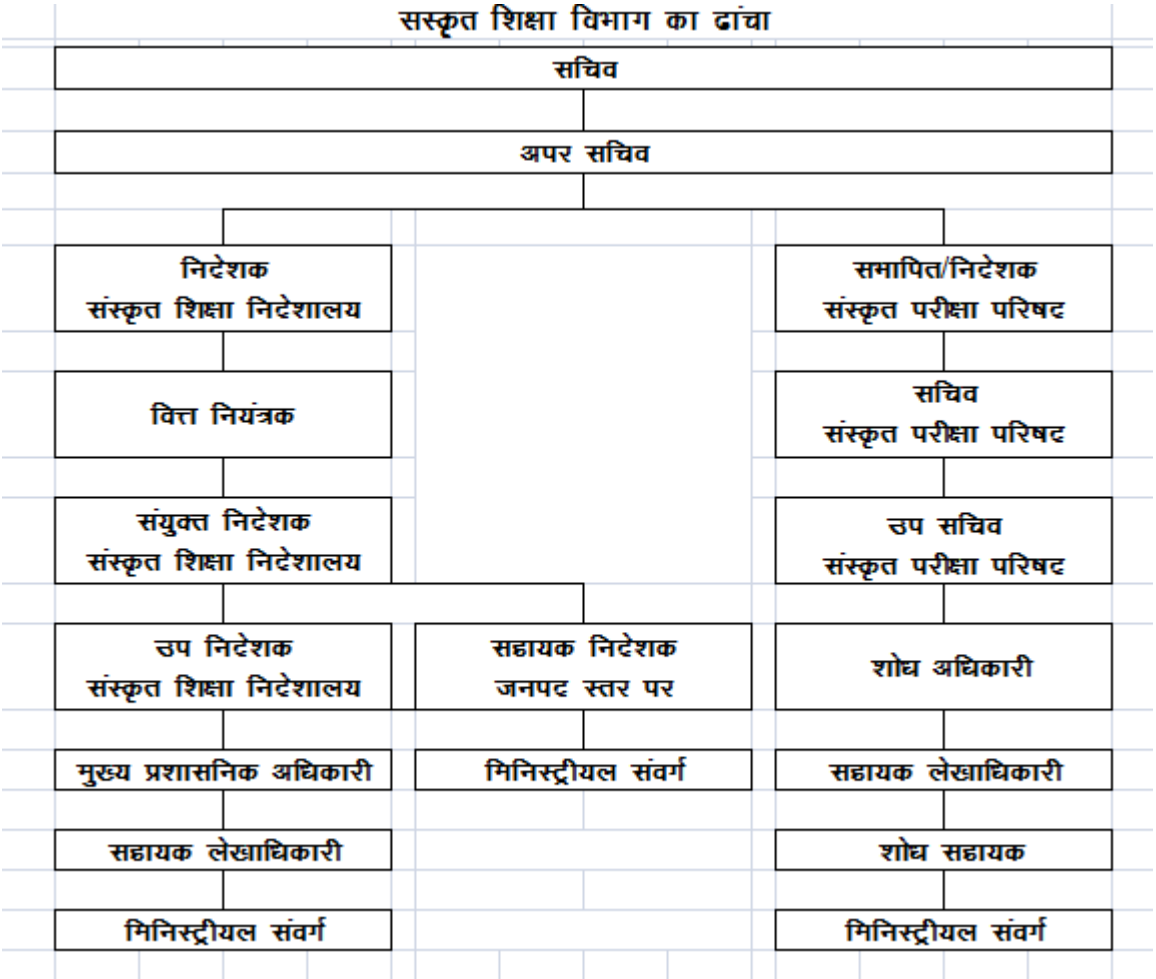


**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

## भाग–II 'अ'

**प्रस्तर–1 अशासकीय संस्कृत विद्यालयों में समायोजित प्रधानाचार्यों को जानबूझ कर अधिक ग्रेड वेतन भुगतान।**

शासनादेश संख्या 650/xxiv-4/2007 दिनॉक 11.12.2007 के द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत महाविद्यालय परिनियमावली 2007 प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/सहायक प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु प्रख्यापित की गयी। आगे, शासनादेश संख्या 80/xxiv-4/2010 दिनॉक 10.05.2011 के द्वारा मूल नियमावली के परिनियम–9 में संशोधन कर एक नया परिनियम–9.1(iii) लागू किया गया, जिसके अनुसार संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जो 31 मई 2010 तक कार्यरत रहते हुए उत्तराखण्ड संस्कृत परिनियमावली 2007 एवं प्रथम संशोधन परिनियमावली 02.03.2009 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पद के अर्हता पूर्ण करते हैं, की सेवाओं को देखते हुए प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद एवं वेतनमान में समायोजित किया जायेगा एवं जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक 31.05.2010 तक मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें परिनियमावली प्रकाशित होने की तिथि से न्यूनतम 03 वर्ष के अन्दर अर्हता पूर्ण होने पर प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पद पर समायोजित किया जायेगा।

कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जॉच में पाया गया कि वर्तमान में राज्य में उत्तर मध्यमा स्तर श्रेणी ''क'' (इण्टर स्तर) के 27 विद्यालय, पूर्व मध्यमा, श्रेणी ''ख'' (हाईस्कूल स्तर) के 14 विद्यालय एवं श्रेणी ''घ'' (प्राथमिक स्तर) के 34 विद्यालय अनुदानित होने के साथ ही उसी स्तर के पद एवं वेतनमान सृजित हैं। उत्तराखण्ड संस्कृत महाविद्यालय परिनियमावली 2007, यथा संशोधित 2009 एवं 2011 के परिनियम–9.1 (iii) के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत 16 प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों जो संस्कृत विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रुप में कार्यरत थे, को उक्त परिनियम–9.1 (iii) के अनुसार स्थायी प्रधानाचार्य में समायोजित किया गया। समायोजित किए गये 16 प्रधानाचार्यों में से 14 कार्यवाहक प्रधानाचार्य सहायक अध्यापक के पद पर रु0 4600 के ग्रेड वेतन एवं मात्र दो कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रवक्ता के पद पर रु0 4800 के ग्रेड वेतन पर कार्यरत थे। समायोजित किए गये कार्यवाहक प्रधानाचार्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

| क्र0 सं0 | कार्यवाहक प्रधानाचार्य का नाम | विद्यालय का नाम | समायोजन से पूर्व पद | कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रुप में प्राप्त वेतनमान | प्रधानाचार्य पद पर समायोजन के पश्चात् वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री ब्रह्मानन्द बिडालिया | जय भारत संस्कृत महावि0, खडखडी, हरिद्वार | प्रवक्ता | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 2. | श्री सुरेश चरण बहुगुणा | 108 वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग | प्रवक्ता | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 3. | श्री मोहन शर्मा सेमवाल | केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 4. | श्री उमेश प्रसाद बहुगुणा | श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय, उत्तरकाशी | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 5. | श्री बालकृष्ण सेमवाल | श्री बद्रीनाथ वेद वेदाग संस्कृत महावि0, जोशीमठ, चमोली | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 6. | श्री शोभा राम गैरोला | 108 बाबा काली कमली संस्कृत महावि0, ऋषिकेश | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 7. | श्री अनिल कुमार शुक्ता | श्री पंजाब सिंध क्षेत्र साधु संस्कृत महावि0, ऋषिकेश | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 8. | श्री सुन्दरमणी रणाकोटी | श्री जयराम संस्कृत पाठशाला, ऋषिकेश | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 9. | श्री सुमन जमलोकी | सनातन धर्म संस्कृत महावि0, मयकोटी, रुद्रप्रयाग | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 10. | श्री विजय राम डिमरी | श्री बद्रीश कीर्ति संस्कृत महावि0, डिम्मर, सिमली, चमोली | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 11. | श्री कान्ता प्रसाद बडोला | श्री जगदेव सिंह संस्कृत महावि0, सप्तऋषि आश्रम, हरिद्वार | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 12. | श्री मार्कण्डेय प्रसाद सेमवाल | श्री उदासीन संस्कृत महावि0, कनखल, हरिद्वार | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 13. | श्री राम प्रसाद सेमवाल | श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, लण्ढोर, मसूरी | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 14. | श्री लक्ष्मी प्रसाद जगूडी | सरस्वती संस्कृत विद्यालय, जोगथ, उत्तरकाशी | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 15. | श्री लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित | संस्कृत पाठशाला, कुरझण, रुद्रप्रयाग | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |
| 16. | श्री जगदीश प्रसाद पोखरियाल | श्री गुरुमण्डलाश्रम संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार | सहायक अध्यापक | 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 | 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 |

लेखापरीक्षा जॉच में आगे पाया गया कि समायोजित किए गये 16 कार्यवाहक प्रधानाचार्यों वाले विद्यालयों में से मात्र पॉच विद्यालय (तालिका के क्रमांक 1 से 5) ही उत्तर मध्यमा अर्थात इण्टर स्तर तक प्रधानाचार्य पद वाले, सात विद्यालय (तालिका के क्रमांक 6 से 12) पूर्व मध्यमा अर्थात हाईस्कूल स्तर तथा चार विद्यालय (तालिका के क्रमांक 13 से 16) प्राथमिक स्तर तक अनुदानित एवं शासन द्वारा पद सृजित हैं। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने अन्तरिम आदेश दिनॉक 24.05.2012 द्वारा रोक लगायी गयी थी तथा पुनः इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने आदेश दिनॉक 03.09.2015 में उत्तराखण्ड शासन को इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु लगभग दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी प्रकरण पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

इसप्रकार, पूर्व मध्यमा, (हाईस्कूल स्तर) के 07 विद्यालयों एवं प्राथमिक स्तर के 04 विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदानित एवं उसी स्तर तक के पद सृजित होने के बावजूद समायोजित किए गये प्रधानाचार्यों को रु0 4600 ग्रेड वेतन के स्थान पर न केवल रु0 7600 ग्रेड वेतन दिया गया अपितु राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदो ंके विपरीत वर्ष 2011 से स्थायी प्रधानाचार्य के पद पर भुगतान दिया जाना कहीं–न–कहीं एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता के साथ–साथ बल्कि जानबूझ कर किया गया कृत्य है। राज्य में 31.05.2010 के पश्चात् अन्य संस्कृत विद्यालयों में भी इस तरह के त्रृटिपूर्ण वेतन निर्धारण के प्रकरणों से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। निदेशालय में इन 11 विद्यालयों में समायोजित किए गये 11 प्रधानाचार्यों को दिए गये अधिक वेतन भुगतान की धनराशि से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिससे लेखापरीक्षा में वास्तविक अधिक वेतन भुगतान की धनराशि ज्ञात नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशक ने लेखापरीखा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को स्थायी समायोजन किया गया। फलस्वरुप विसंगति उत्पन्न होने पर एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद योजित होने के कारण मा0 न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनॉक 24.05.2012 एवं अन्तिम आदेश दिनॉक 03.09.2015 के परिपालन में समायोजित समस्त प्रधानाचार्यों का पूर्ण विवरण तैयार कर निदेशालय द्वारा शासन को दिनॉक 26.11.2016 में प्रेषित किया गया, जिस पर अन्तिम निर्णय शासन में विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने पर अधिक भुगतान यदि कोई हो, तो सम्बन्धित कार्मिकों से वसूला जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब राज्य सरकार से 11 विद्यालय पूर्व मध्यमा एवं प्राथमिक स्तर तक ही अनुदानित एवं उसी स्तर के पद सृजित हैं तो इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों को वेतन भुगतान राज्य वित्त से किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिस पर शासन स्तर से निर्णय मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया जाना चाहिए था, जो कि लगभग दो वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं लिया गया।

अतः अशासकीय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में समायोजित प्रधानाचार्यों को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर अधिक वेतन भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–II 'ब'

### प्रस्तर–1 छात्रविहीन विद्यालयों में कार्यरत परिचारकों को वेतन भुगतान के रुप में बिना कार्य के रु0 70.07 लाख के शासकीय धन का दुरुपयोग।

उत्तराखण्ड में संस्कृत शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन संचालन पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण तथा विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गयी जिसका प्रमुख कार्य प्रथमा से आचार्य स्तर तक की एकीकृत संस्कृत शिक्षा की ब्यवस्था पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रबन्धन करना है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीन संस्कृत शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है जो प्रथम कक्षा से उत्तर मध्यमा स्तर तक के पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं इस स्तर तक के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के साथ ही परीक्षाओं का आयोजन करता है।

कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून के राजकीय संस्कृत विद्यालयों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि राज्य में स्थापित 06 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में से 02 विद्यालयों[1] में क्रमशः वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2012–13 से छात्र संख्या नहीं है जबकि इन विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य होने के बावजूद राजकीय संस्कृत विद्यालय, मुखेम (टिहरी गढवाल) में कार्यरत अध्यापकों को वर्ष 2014–15 में सम्बद्धता से पूर्व रु0 40.96 लाख एवं परिचारक को मार्च 2017 तक रु0 8.79 लाख तथा राजकीय संस्कृत विद्यालय, खरसाली (उत्तरकाशी) में कार्यरत परिचारक को जुलाई 2017 तक रु0 20.32 लाख बिना कार्य लिये ही वेतन भुगतान किया गया। छात्रविहीन विद्यालयों एवं उसमें तैनात अध्यापकों/परिचारकों का विवरण निम्नवत् हैः–

| विद्यालय का नाम | कार्यरत अध्यापकों की सं0 | कार्यरत परिचारकों की सं0 | छात्र विहीन होने का वर्ष | अन्य विद्यालय में सम्बद्धता का वर्ष | | बिना कार्य के प्रदत्त वेतन भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अध्यापक | परिचारक | अध्यापक | परिचारक |
| राजकीय संस्कृत विद्यालय, मुखेम, टिहरी गढवाल | 02 | 01 | 2012–13 | 2014–15 | वर्तमान में कार्यरत | 4095500.00 (2012–13 से 2013–14 तक) | 879123.00 (2012–13 से 2013–14 तक) |
| राजकीय संस्कृत विद्यालय, खरसाली, उत्तरकाशी | 01 | 01 | 2005–06 | 2005–06 | वर्तमान में कार्यरत | –[2] | 2031998 (2009–10 से 07/2017 तक) |

इसप्रकार, छात्र संख्या शून्य होने, अन्य विद्यालयों में सम्बद्ध किए जाने के मध्य कार्यरत अध्यापकों एवं वर्तमान में उसी छात्रविहीन विद्यालयों में कार्यरत परिचारकों को बिना कार्य के

[1] राजकीय संस्कृत विद्यालय, मुखेम (टिहरी गढवाल) एवं राजकीय संस्कृत विद्यालय, खरसाली (उत्तरकाशी)

[2] राजकीय संस्कृत विद्यालय, खरसाली (उत्तरकाशी) में कार्यरत अध्यापक की सेवायें अन्यंत्र राजकीय विद्यालय में लिए जाने के कारण प्रदत्त वेतन रु0 44.70 लाख को सम्मिलित नहीं किया गया है।

रु0 70.07 लाख की धनराशि वेतन के रुप में भुगतान किया जाना शासकीय धन का दुरुपयोग है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि नवीन छात्रों के प्रवेश लिए जाने की प्रत्याशा में कार्यरत अध्यापकों एवं परिचारकों को अन्यंत्र सम्बद्व नहीं किया गया क्योंकि अन्यंत्र सम्बद्व किए जाने पर यदि कोई छात्र प्रवेश के इच्छुक भी होता तो अध्यापक विहीन होने के कारण छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते। वर्तमान में अध्यापकों को अन्यंत्र सम्बद्ध किए जाने के निर्देशित किया गया है तथा मात्र परिचारकों कार्यरत है जो कि विद्यालय भवन की देखभाल कर रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजकीय संस्कृत विद्यालय, मुखेम में छात्र संख्या वर्ष 2012–13 एवं राजकीय संस्कृत विद्यालय, खरसाली में छात्र संख्या वर्ष 2005–06 से शून्य थी। यदि इस उद्देश्य से कि नवीन छात्र कभी भी प्रवेश ले सकते है तो इतने वर्ष व्यतीत के बाद भी छात्र संख्या शून्य रहना एवं अध्यापकों को अन्यंत्र सम्बद्ध न किया जाना कहीं न कहीं निदेशालय की विफलता का प्रतीक है।

अतः छात्रविहीन विद्यालयों में कार्यरत परिचारकों को वेतन भुगतान के रुप में बिना कार्य के रु0 70.07 लाख के शासकीय धन के दुरुपयोग का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–II 'ब'

**प्रस्तर–2 शासन में सम्बद्धता के कारण रु0 2.99 लाख का अनियमित भुगतान।**

शासनादेश 684/XXVII-3-2016-76/2015 दिनॉक 03.06.2016 में वर्णित किया गया था कि ऐसे कार्मिकों जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यंत्र सम्बद्धीकृत किए गये हो, को तत्काल रुप से समाप्त किया जाए।

कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून के वेतन बिल एवं उपस्थिति पंजिका की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो कार्मिकों क्रमशः श्री मुकेश कुमार पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक एवं श्री हिमांशु राणा, अनुसेवक को कार्यालयीन कार्य हेतु अप्रैल 2012 में नियुक्त किया परन्तु नियुक्ति की तिथि से उक्त आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवायें शासन में ली जा रही है। वेतन बिल में पाया कि उक्त सम्बद्ध कार्मिक के वेतन संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून से आहरित किया जा रहा है। श्री मुकेश कुमार पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक को **जून** 2016 से जुलाई 2017 तक रु0 1,70,658 एवं श्री हिमांशु राणा, अनुसेवक को **जून** 2016 से जुलाई 2017 तक रु0 1,28,144 का वेतन निदेशालय से किया गया। इसप्रकार, दोनों आउटसोर्सिंग कार्मिकों को अन्यंत्र सेवायें प्रदान करने के एवज में संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा रु0 2,98,802 की धनराशि का भुगतान किया जाना अनियमित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशक ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बद्धीकरण शासन के आदेशानुसार किया गया है, प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जायेगा एवं शासन के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार सम्बद्धता समाप्त कर ली जानी चाहिए थी।

अतः शासन में सम्बद्धता के कारण रु0 2.99 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 77 / 2016–17 | – | 1 एवं 2 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 77 / 2016–17 | भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1 | कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। | अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है। | |
| | भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2 | –– तदैव –– | –– तदैव –– | |

## भाग–IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

## भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

| **क्र0** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री आर0के0 कुँवर | निदेशक | 01.09.2016 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र**